न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी श्री मंगलाराम पूनिया, आर.ए.एस.

Jodhpur-2021-193(GCMS2021-467) RTA225 Dungarsingh Vs State

डूंगरसिंह पुत्र गुलाबसिंह
निवासी दांतीवाडा
तहसील व जिला जोधपुर

अपीलाण्ट...

ब

ना

म

1. राजस्थान सरकार
   जरिये तहसीलदार जोधपुर
2. खनिज अभियन्ता,
   खनिज विभाग, सर्किट हाउस,
   जोधपुर

रेस्पो. ...

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बरखिलाफ निर्णय सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट ट्रेक) जोधपुर दिनांक 28 अगस्त 2019 राजस्व प्रकरण संख्या 308/2019 सरकार बनाम डूंगरसिंह इत्यादि

उपस्थित-
श्री कानाराम गोदारा, अधिवक्ता-अपीलाण्ट
श्री दयाराम चौधरी, राजकीय अधिवक्ता-रेस्पो.

<u>नि र्ण य</u>

दिनांक : 30 नवम्बर, 2022

अपीलाण्ट ने न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट ट्रेक), जोधपुर द्वारा राजस्व प्रकरण संख्या 308/2019 सरकार बनाम डूंगरसिंह आदि में पारित निर्णय दिनांक 28

अगस्त 2019 के खिलाफ राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 225 के तहत अदालत हाजा के समक्ष दिनांक 11 फरवरी 2020 को प्रस्तुत की है। जो कमी-पूर्ति एवं मियाद के बिन्दु पर दिनांक 19 मार्च 2020 को खारिज कर दी गयी। अदालत हाजा के उक्त आदेश के खिलाफ प्रस्तुत निगरानी 2021/529 निस्तारित करते हुए माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर द्वारा पारित आदेश दिनांक 12 अक्तूबर 2021 के अनुसरण में दिनांक 25 अक्तूबर 2021 को पुनः संस्थित की जाकर कार्यवाही आरम्भ की गयी।

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थी-रेस्पो. संख्या एक द्वारा एक प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 प्रस्तुत कर खातेदारी की कृषि भूमि आराजी खसरा संख्या 657/1 रकबा 6.05 बीघा वाके मौजा दांतीवाडा का अप्राथी-अपीलाण्ट द्वारा अकृषि प्रयोजनाथ उपयोग-उपभोग (बजरी का अवैध खनन) कर 1.43 बीघा भूमि को नुकसान पहुँचाया जाना जाहिर किया और एम.एम.आर.डी.एक्ट 1957 तथा एम.एम.सी.आर. 1986 का उल्लंघन होने के कारण संबंधित प्रावधानों के तहत उक्त भूमि बाबत खातेदारी अधिकार निरस्त किये जाने का निवेदन किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त प्रार्थनापत्र के आधार पर प्रकरण संस्थित किया जाकर कार्यवाही आरम्भ की गयी और जरिये अपीलाधीन निर्णय दिनांक 28 अगस्त 2019 उक्त प्रार्थनापत्र स्वीकार करते हुए अवैध खनन कार्य हेतु काम में ली गयी भूमि को सिवाय चक घोषित कर तहसीलदार को उक्त आराजी राज्य सरकार में समायोजित किये जाने का आदेश दिया। जिसके खिलाफ आलोच्य अपील पेश की गयी है।

बहस सुनी गयी। अधिवक्ता-अपीलाण्ट में अपील-मीमों में अंकित बिन्दुओं एवं तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय में अपीलाण्ट को साक्ष्य सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान नहीं किया गया। धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के प्रार्थनापत्र के संबंध में पक्षकारान को नियमित वाद की भांति साक्ष्य सुनवाई का अवसर प्रदान किया जाना चाहिये, मगर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 177(4) को नजरअदांज करते हुए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा ऐसा नहीं किया गया और प्रार्थी-रेस्पो. की ओर से कोई साक्ष्य सबूत पेश हुए बिना ही अपीलाधीन निर्णय अपीलाण्ट के खिलाफ पारित कर दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय में प्रकरण दिनांक 29 सितम्बर 2014 को संस्थित किया गया जिसमें अपीलाण्ट की ओर से दिनांक 17 अक्तूबर 2014 को वकालतनामा पेश करने बाबत अण्डरटेंकिग हुआ। इसके बाद किसी भी आदेशिका में वकालतनामा पेश होने/नहीं होने के संबंध में कोई अंकन नहीं है। अपितु पीठासीन अधिकारी अन्य कार्य में व्यस्त/अवकाश पर/दौरे पर होने आदि कारणों से पेशी इल्तवा की जाती रही है और दिनांक 02 नवम्बर 2018 को अपीलाण्ट के जबाब का अवसर बन्द कर दिया गया। इसके बाद पुनः उक्त कारणों से तारीख-पेशीयाँ इल्तवा की जाती रही और दिनांक 7 अगस्त 2019 की आदेशिका में प्रार्थी की ओर से जबाब, दस्तावेज व शपथपत्र पेश होना अंकित कर आगामी पेशी दिनांक 14 अगस्त 2019 मुकर्रर कर दी गयी। इसके बाद अप्रार्थीगण की अनुपस्थिति दर्शाते हुए दिनांक 28 अगस्त 2019 को अपीलाधीन निर्णय पारित कर दिया गया। जो प्राकृतिक न्याय के मूलभूत सिद्धान्तों के अनुरूप नहीं होने से खारिज किये जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय में

वादग्रस्त आराजी के अन्य सहखातेदारान को पक्षकार ही नहीं बनाया गया है। अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाकर वांछित अनुतोष प्रदान किया जावे।

जबाब में राजकीय अधिवक्ता ने अपनी लिखित बहस में वर्णित बिन्दुओं को दोहराते हुए अपीलाधीन निर्णय का समर्थन किया और कथन किया कि अपीलाण्ट द्वारा आलौच्य अपील झूठे, मनगढंत एवं बेबुनियाद तथ्यों पर प्रस्तुत की गयी है। यह कहना भी सही नहीं है कि अधीनस्थ न्यायालय में अधिवक्ता ने अपीलाण्ट की सहमति के बिना ही अपनी उपस्थिति दर्ज करवायी थी। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलाण्ट्स की ओर से अधिवक्ता उपस्थित हुए किन्तु समुचित अवसर प्रदान किये जाने के उपरान्त भी कोई जबाब पेश नहीं किया गया। 2014(1) एसएससी 605 एवं एआईआर 2014(एससी) 1582 के संदर्भ से राजकीय अधिवक्ता ने कथन किया कि अदालत हाजा में भी पूर्व में इस संबंध में घोर लापरवाही बरतते हुए अपील प्रस्तुत की गयी। 2019(2) आरआरटी 866 उद्धरित करते हुए राजकीय अधिवक्ता ने कथन किया कि अपने अधिवक्ता से सम्पर्क बनाये रखना स्वयं मुव्वकिल का दायित्व होता है। राजकीय अधिवक्ता ने यह भी कथन किया कि लालच के अतिरेक में अपीलाण्ट द्वारा अपनी खातेदारी भूमि का अकृषि प्रयोजनार्थ उपयोग करते हुए अवैध रूप से बजरी का खनन किया है, अपीलाण्ट का यह कृत्य कृषि सुधार की श्रेणी में नहीं आता है अपितु इससे भूमि का कृषि स्वरूप ही नष्ट हो जाता है। समुचित अवसर प्रदान किये जाने के उपरान्त भी अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलाण्ट की ओर से कोई जबाब पेश नहीं

किया गया। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाण्ट के जबाब का अवसर बंद किया गया, जो न्यायोचित है। खातेदारी की कृषि भूमि का अकृषि प्रयोजनार्थ उपयोग-उपभोग किया जाना राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के प्रावधानों का उल्लंघन होने से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय न्यायोचित एवं विधिसम्मतः पारित किया गया है। अतः प्रस्तुत अपील सारहीन होने से तदनुसार खारिज की जावे।

बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का आद्योपान्त गम्भीरतापूर्वक अध्ययन किया गया।

जहॉ तक अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब तथा अपील के साथ अपीलाधीन निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपि प्रस्तुत किये जाने का प्रश्न है, आलौच्य अपील कमी-पूर्ति एवं मियाद के बिन्दु पर खारिज करते हुए अदालत हाजा द्वारा पारित आदेश दिनांक 19 मार्च 2020 खिलाफ प्रस्तुत निगरानी दिनांक 12 अक्तूबर 2021 को स्वीकार करते हुए माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर द्वारा अपीलाण्ट को एक अवसर दिया जाना न्यायोचित माना है। इसके अलावा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं अपीलाधीन निर्णय के अवलोकन से यह प्रकट होता है कि अपीलाधीन निर्णय अप्रार्थीगण-अपीलाण्ट एवं उनके अधिवक्ता की अनुपस्थिति में पारित किया गया है। अतः उक्त प्रार्थनापत्रों में वर्णित बिन्दुओं एवं अधिवक्ता-अपीलाण्ट द्वारा इस संबंध में प्रस्तुत तर्को पर विश्वास करते हुए उक्त दोनों प्रार्थनापत्र स्वीकार किये जाते है।

गुणावगुण पर यह प्रकट होता है कि अधीनस्थ न्यायालय में प्रकरण में पेशी-दर-पेशी "आज पीठासीन अधिकारी दौरे पर है,

अवकाश पर है, दीगर कार्य में व्यस्त है.. " मुद्रित रबर स्टाम्प लगायी जाकर तारीख तब्दील की गयी है और इन आदेशिकाओं पर किसी के भी हस्ताक्षर नहीं है।

अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध नकल जमाबंदी ग्राम दांतीवाडा संवत 2058-2061 के अनुसार आराजी खसरा संख्या 657/1 डूंगरसिंह कानसिंह पिसरान गुलाबसिंह, सज्जनकंवर बेवा गुलाबसिंह जाति राजपूत साकिन देह की सहखातेदारी में दर्ज है, जबकि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत प्रार्थनापत्र एवं की गयी कार्यवाही में अपीलाण्ट के अलावा अन्य सहखातेदारान को पक्षकार ही नहीं बनाया गया है। जिससे अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत प्रार्थनापत्र एवं पारित निर्णय न्यायोचित एवं विधिसम्मतः नहीं पाये जाते है।

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 177(4) के अनुसार धारा 177 के प्रकरण में अप्रार्थी को नोटिस जारी किये जाने पर यदि अप्रार्थी निर्धारित समय पर न्यायालय के समक्ष उपस्थित हो जाता है और प्रार्थनापत्र का विरोध करता है तो ऐसी स्थिति में धारा 177 के तहत प्रस्तुत प्रार्थनापत्र में नियमित वाद की भांति निर्धारित विधिक प्रकिया अपनायी जाकर कार्यवाही किये जाने का प्रावधान है। आलौच्य मामले में अपीलाण्ट अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उपस्थित हुए है, किन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मामले में अपीलाण्ट को अपना पक्ष प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान किये बिना मात्र सरसरी तौर पर कार्यवाही करते हुए अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया है।

यह भी उल्लेखनीय है कि तहसीलदार जोधपुर के आदेश कमांक सम/2014/4612 दिनांक 08 जुलाई 2014 की अनुपालना में संयुक्त टीम द्वारा दिनांक 10 जुलाई 2014 से 15 जुलाई 2014 तक ग्राम दांतीवाडा का मौका मुआयना कर तैयार की गयी जिस मौका रिपोर्ट को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय का आधार बनाया गया है, उसमें अवैध खनन कार्य का क्षेत्रफल (खसरा संख्या 657/1 बाबत) 1.43 बीघा (गौरतलब है कि दशमलव के बाद अधिकतम 19 बिस्वा 19 बिस्वा का ही अंकन किया जा सकता है क्योंकि इससे अधिक होने पर एक बीघा हो जाता है) अंकित किया हुआ है, और संबंधित खातेदार के मौके पर उपस्थित होने बाबत इस रिपोर्ट में कुछ भी अंकित नहीं है और न ही संबंधित खातेदार के इस रिपोर्ट पर हस्ताक्षर अथवा अंगुष्ठ निशान है।

अदालत हाजा द्वारा अपील स्तर पर तलब मौका रिपोर्ट दिनांक 24 मार्च 2022 के अनुसार अपीलाधीन निर्णय के अनुसरण में वादग्रस्त आराजी बाबत राजस्व रिकार्ड में अमल-दरामद किया जा चुका है, किन्तु संबंधित खातेदार से मौके पर भौतिक कब्जा बहक सरकार प्राप्त कर लिये जाने संबंधित इन्द्राज नहीं है।

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 178(2) में प्रावधान किया गया है कि -

178. Decree or Order under Section 177 –

(1) A decree or order under Section 177 may direct the ejectment of a tenant either from the entire holding or from such portion thereof as the court, having regard to all the circumstances of the case, may direct.

(2) Such decree or order shall further direct that if the tenant repairs the damage or pays such compensation as the court thinks fit within three months from the date of the decree or order or

> within such further period as the court may, for reasons to be recorded, allow the decree or order shall not be executed except in respect of costs.

जाहिर है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय पारित करते हुए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 178(2) के प्रावधानों की पालना नहीं की गयी है।

उपरोक्त समस्त विवेचन के आधार पर अदालत हाजा की राय में अपीलाधीन निर्णय अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नैसर्गिक न्याय के मूलभूत सिद्धान्तों, संबंधित कानूनी प्रावधानों एवं निर्धारित विधिक प्रक्रिया की पालना सुनिश्चित किये बिना पारित किया जाना प्रकट होता है जो यथावत रखे जाने योग्य नहीं पाया जाता है। अतः प्रस्तुत अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाती है और अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 28 अगस्त 2019 अपास्त किया जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ रिमाण्ड किया जाता है कि संबंधित कानूनी प्रावधानों एवं निर्धारित विधिक प्रकिया की पालना सुनिश्चित करते हुए अपीलाण्ट को अपना पक्ष प्रस्तुत करने एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किया जाकर मामले में नियमानुसार न्यायोचित निर्णय पारित किया जावे। तब तक वादग्रस्त आराजी के संबंध में राजस्व रिकार्ड की आज दिनांक की स्थिति यथावत बनाये रखी जावे।

निर्णय आज खुले न्यायालय में सुनाया गया।

30.11.2022

(मंगलाराम पूनिया)
राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर